न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या–27/2021

अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा–3

सरकार

बनाम

अशोक यादव, पे0–सूर्यानंद यादव, सा0–धीवहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
21.09.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 84/डी0सी0बी0, दिनांक 31.03.2021) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 1101/अनु0, दिनांक 25.03.2021) के आधार पर अशोक यादव, पे0–सूर्यानंद यादव, सा0–धीवहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। पुलिस अधीक्षक,अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 143/डी0सी0बी0, दिनांक 31.05.2021) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अशोक यादव, पे0–सूर्यानंद यादव, सा0–धीवहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका आचरण संदिग्ध है। तथा अपराधिक रूप से सक्रिय है। इनके द्वारा मौका मिलते ही लोक शांति भंग किये जाने की संभावना है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। इनके व्यवहार से समाज में काफी भय व्याप्त है। ये चोरी छुपे अपराधिक घटना को अंजाम देते है। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव–2021 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण लोगों के बीच भय का माहौल बनाकर कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर सकते हैं, जिससे विधि–व्यवस्था भंग होने की पुरी संभावना है। अशोक यादव का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :– 1. फारबिसगंज थाना कांड सं0–48/18, दिनांक–23.01.18, धारा–379 भा0द0वि0। आरोप पत्र सं0–197/18, दिनांक–14.06.18 2. फारबिसगंज थाना कांड सं0–53/18, दिनांक–26.01.18, धारा–413/414/34 भा0द0वि0। आरोप पत्र सं0–95/18, दिनांक–23.04.18 अररिया जिला में बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी अशोक यादव, पे0–सूर्यानंद यादव, सा0–धीवहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा–3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है। उक्त के आलोक में आरोपी/अपराधकर्मी अशोक यादव को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी–अशोक यादव की ओर से हाजिरी दी गई एवं जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय में उपस्थित विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया श्री लक्ष्मी नारायण यादव और विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश प्रसाद चौपाल एवं विपक्षी अशोक यादव को सुना। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया का मुख्य कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज कांडो की प्रकृति गंभीर है। विपक्षी द्वारा फारबिसगंज थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगामी बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में स्थानीय स्तर पर धांधली एवं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने तथा विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हुड़दंग मचाने की पूर्ण संभावना है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त प्रस्ताव सही है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश पारित किया जाय। विपक्षी का मुख्य कथन है कि विपक्षी अपने घर में रहकर खेती का कार्य कर जीविकोपार्जन कर रहा है। वह बाल बच्चेदार व्यक्ति है तथा साधारण किसान है। सम्मन में निर्विष्ट केश नंबर अंकित किया गया है, उक्त दोनों ही केश में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त पाकर उन्नमोचित कर दिया गया है। दोनों मुकदमा के पश्चात अन्य कोई भी मोकदमा उनके विरूद्ध दर्ज नहीं है। उसका पूर्ण विश्वास है कि अब उसके विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। वह साधारण जीवन जी रहा है। यह कार्यवाही उसके विरूद्ध निर्वाह योग्य नहीं है। वह कानून को मानता है। जब भी श्रीमान् का आदेश होगा, जहाँ भी उपस्थित होने का आदेश होगा, वह स्वयं ही उपस्थित रहेगा। उनका कहना है कि अपराध करना उसका पेशा नहीं है और समाज में	

कभी भी अशांति नहीं फैलाता है और ना ही किसी भी व्यक्ति को समाज में भयभीत करता है। उनकी प्रार्थना है कि बी0सी0ए0 की धारा-3 उसके विरूद्ध लागू नहीं होने के कारण इस धारा से मुक्त न्यायहित में किया जाय। विपक्षी की ओर से अपने दावा के समर्थन में कोई कागजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरूद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **अशोक यादव दिनांक-27.09.2021 के पूर्वाहन से दिनांक-21.11.2021 के पूर्वाहन तक सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार एवं वृहस्पतिवार) नरपतगंज थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, नरपतगंज** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव, 2021 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही लिखित में यह भी बतायेंगे कि मतदान की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते से मतदान केन्द्र से घर आयेंगे।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2330 /विधि, दिनांक 18.10.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, जोगबनी थाना एवं थानाध्यक्ष, फारबिसगंज को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2330 / विधि, दिनांक 18.10.2021

प्रतिलिपि : श्री अशोक यादव, पे0-सूर्यानंद यादव, सा0-धीवहा, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।